संख्या- 7/2022/44/24/8/76/का-प्रसको/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग तथा
महानिदेशक, प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक लखनऊ: दिनांक: 12 मई, 2022

विषयक:- प्रशिक्षण संस्थान का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

सभी विभागों के सीधी भर्ती के कार्मिकों तथा प्रोन्नत अधिकारियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण (Induction Training) तथा सेवाकालीन कार्मिकों हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण (In Service Training) सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागों में संचालित प्रशिक्षण संस्थानों का इष्टतम (Optimum) उपयोग सुनिश्चित किया जाना तथा ऐसे विभाग जिनके प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, उनको संबंधित सेक्टर के प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बद्ध किया जाना है।

इस क्रम में प्रथम चरण में सभी विभागों के समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों के Induction Triaining एवं In Service Training की व्यवस्था की जानी है। इसके दृष्टिगत विभाग के अन्तर्गत स्थापित/ निर्माणधीन प्रशिक्षण संस्थानों के विवरण की आवश्यकता है। इस हेतु पत्र के साथ प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित है ।

अत: अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं पर पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना प्राथमिकता के आधार पर कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 7/2022/44/24/8/76/का-प्रसको/2022तददिनांक

प्रलिलिपि समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
श्रीहरि प्रताप शाही
निदेशक, प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in/

प्रारूप-1 राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों (संचालित/निर्माणाधीन) का विवरण

विभाग का नाम-

विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण नोडल अधिकारी का नाम/ पदनाम/ ई-मेल व मोबाइल संख्या-

क्र0सं0	संस्थान का नाम व पता	विशेषज्ञता	प्रशिक्षकों की संख्या		प्रशिक्षुओं हेतु आवासीय सुविधा संख्या	संस्थान के मुखिया का नाम/पदनाम/ई-मेल मोबाइल संख्या
			स्थायी	संविदा/प्रतिनियुक्ति		

नोट:- 1- निर्माणाधीन होने की स्थिति में संस्थान के संचालित होने की संभावित तिथि का उल्लेख करें।

2- जिन विभागों में प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, उनमें संबंधित आबद्ध/ प्रस्तावित प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण उपलब्ध करायें ।

3- विशेषज्ञता- (i) सामान्य/ प्रशासनिक/ प्रबन्धन (ii) कर एवं वित्तीय प्रबन्धन (iii) विधि एवं न्याय

(iv) नगरीय एवं ग्राम्य विकास एवं प्रबन्धन (v) कृषि आधारित (vi) वन/ पारिस्थितिकी/ पर्यावरण

(vii) सुरक्षा (viii) इंजीनियरिंग/ तकनीकी (ix) सूचना-प्रोद्धयोगिकी

(x) समाज कल्याण/ श्रम (xi) शिक्षा/ चिकित्सा/ पर्यटन

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ सत्यापित की जा सकती है